

हरियाणा के बिजली कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन करें!

कामगार एकता कमिटी (KEC) का बयान, 22 अक्टूबर 2026

'हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयीज एंड इंजीनियर्स जॉइंट फोरम' ने राज्य के बिजली क्षेत्र के जिस चालाकीपूर्ण तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में 22 से 24 अक्टूबर 2026 तक तीन दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है।

कामगार एकता कमिटी हरियाणा के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का पूरे दिल से समर्थन करती है, और सभी राज्यों के बिजली कर्मचारियों, अन्य श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं से एकजुटता दिखाने की अपील करती है!

गौरतलब है कि हरियाणा के बिजली कर्मचारियों ने राज्य सरकार के कुछ कदमों के विरोध में 11 अगस्त 2026 से तीन दिन की हड़ताल करने की घोषणा की थी। सरकार के इन कदमों में एक अलग 'कृषि बिजली वितरण कंपनी बनाना', समानांतर वितरण लाइसेंस देना और स्मार्ट मीटर लगाना शामिल था। हड़ताल से ठीक एक दिन पहले, 10 अगस्त को, बिजली मंत्री ने कर्मचारियों को लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली।

परंतु, अब राज्य प्रशासन ने अपने वादों को तोड़ दिया है और निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। 18 अक्टूबर को, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने जन-विरोधी और कर्मचारी-विरोधी फैसला लेते हुए, गुरुग्राम और नूंह जिलों के लिए 'इलेवन पावर' नामक निजी कंपनी को 25 वर्षों की अवधि के लिए बिजली वितरण का समानांतर लाइसेंस दे दिया।

हरियाणा में बिजली का निजीकरण पूरे देश के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। यह निजीकरण केवल बड़े पूंजीपतियों का मुनाफा कई गुना बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये लोग अब राज्य के करोड़ों रुपये के वितरण ढांचे का इस्तेमाल उपभोक्ताओं को लूटने के लिए करेंगे, और साथ ही कर्मचारियों को उनके मेहनत से कमाए गए अधिकारों जिनमें आजीविका का अधिकार और नौकरी की सुरक्षा शामिल हैं, से वंचित करेंगे।

सरकारों ने बार-बार बिजली क्षेत्र के मुनाफे वाले हिस्सों का निजीकरण करने की कोशिशें की हैं, कभी 'समानांतर वितरण' के नाम पर, तो कभी 'डीमंड डिस्ट्रीब्यूशन', फ्रेंचाइजी, स्मार्ट मीटर, आदि के जरिए और इन सबका मकसद सिर्फ पूंजीपति वर्ग की जेबें भरना रहा है।

देश के बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने बार-बार एकजुट होकर और दृढ़ संकल्प के साथ इन हमलों का विरोध किया है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरह अलग-अलग श्रेणियों और यूनियनों के बीच, तथा कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच एकता कायम की जा सकती है। बिजली कर्मचारियों और किसानों के लगातार विरोध के कारण ही, 'बिजली संशोधन विधेयक' एक दशक से भी अधिक समय से पारित नहीं हो पाया है।

निजीकरण के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कर्मचारियों की नहीं है। 'हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयीज एंड इंजीनियर्स जॉइंट फोरम' ने आम उपभोक्ताओं, किसान संगठनों और स्थानीय नागरिक समूहों को भी अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हरियाणा के बिजली कर्मचारियों के इस संघर्ष को देश के सभी श्रमिकों और आम लोगों का पूरा समर्थन मिलना चाहिए!

बिजली एक बुनियादी ज़रूरत है और इसलिए यह सभी का मौलिक अधिकार है!
जनता के पैसे से बनाई गई संपत्तियों का इस्तेमाल निजी मुनाफ़ा कमाने के लिए न होने दें!

मज़दूरों, मेहनतकशों, किसानों और सभी शोषितों की एकता ज़िंदाबाद!

इंक्रलाब ज़िंदाबाद!